संख्या-13/2019 /**248/चालीस-2019-बजट(06)/18**

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,

लखनऊ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊः दिनांक 11 अक्टूबर, 2019

विषयः अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3183/15-15 (2008-2009), दिनांक 03 जुलाई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 सपठित संशोधन विज्ञप्ति सं0-402/चालीस-10-(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा "पुरस्कार की धनराशि" को संशोधित कर रू0 50,000/- (पचास हजार मात्र) किए जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति सं0-354/चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, 2013 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019ए दिनांक 22 मार्चए 2019 में दी गई शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अन्तर्जातीय विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रू0 4,00,000/- (रू0 चार लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि से अन्तर्जातीय विवाह के लाभार्थियों को नियमानुसार रू0-50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102- अन्तर्जातीय विवाह जिसमें दम्पत्ति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नकद पुरस्कार (के.50 प्रतिशत + रा. 50 प्रतिशत) -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छाया प्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखामिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का व्यय 31 मार्च, 2020 तक सम्भव हो सके।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- यू0ओ0-ई-9-1372/2019, दिनांक 28 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 13/2019 /**248(1)/चालीस-19-बजट(06)/18, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , प्रयागराज।
(2) प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , प्रयागराज ।
(3) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, प्रयागराज ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
(6) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in